

१५०९.२५

पत्रावली वेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस पर
मन काने एवं पत्रावली का अवलोकन काने पर
गर्भीगण का अर्थात् वत्र स्वीकार योग्य होने के कारण
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा
जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक़े तकमील
होकर दायित्व दफ़्तर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में
सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
R.A.S.